



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 44/300 सी-6/ सी. - 52/ O.A.N. 116/2014/19 Dated 13-9-19

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Reg


Sub: Submission of Compliance report of order dated 19.07.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Others with O.A. no. 437/2015 Vishwa Vijay Singh Vs. UP Pollution Control Board & others regarding M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of order dated 19.07.2019 the compliance report regarding M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above


(Ashish Tiwari)

Member Secretary

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-GB Nagar, 201301.


Member Secretary




Compliance report of order dated 19.07.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Others with O.A. no. 437/2015 Vishwa Vijay Singh Vs. UP Pollution Control Board & others:

The relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 116/2014 with O.A. on. 437/2015 dated 19.07.2019 is as follows:-

".....In the light of earlier approach adopted by this Tribunal with regard to action on such reports¹ we direct that the copies of the said reports be furnished to the CPCB and UPPCB for further appropriate action of prohibiting polluting activity, recovering compensation for the damage and prosecution. The said joint Committee may furnish an action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in. The state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance....."


1. That in compliance of order dated 19.07.2019 Regional Director, Central Pollution Control Board, Lucknow was asked to nominate representative of CPCB for joint inspection of M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar), Masaudha, Ayodhya vide letter no. G 3076/C-6/52/O.A. 116/2014/2019 dated 29.07.2019. Copy of the said letter is **annexed as annexure-01**.
2. That Central Pollution Control Board, Delhi nominated Shri Runa Oraon, Scientist-D as representative of CPCB for joint inspection M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar), Masaudha, Ayodhya vide letter no. B-375/PCI-III/2k12-2k13 dated 06.08.2019. Copy of the said letter is **annexed as annexure-02**.
3. That in compliance of order dated 19.07.2019 joint inspection of M/s K.M. Sugar Mills (Distillery & Sugar), Masaudha, Ayodhya was made on dated 05.08.2019. Copy of joint inspection report is **annexed as annexure-03**.
4. That on the basis of joint inspection report of CPCB & UPPCB Direction u/s 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been issued against industry M/s K.M. Sugar Mills (Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya vide letter no. H 4043/C-6/water-5/Ayodhya/19 dated 26.08.2019. Copy of the said letter is **annexed as annexure-04**.
5. That Environmental Compensation (EC) of amount Rs. 22.5 Lacs (Rs. Twenty Two lacs fifty thousand only) was imposed by UPPCB against M/s K.M. Sugar Mills (Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya for the defaults made by the industry and industry was directed to deposit the amount of EC vide letter no. H 32415/C-6/consent water/5/show cause notice/Ayodhya/19 dated 07.02.2019. Copy of the said letter is **annexed as annexure-05**.


E.E.
C-6


CEO,
C-6

6. That M/s K.M. Sugar Mills (Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya deposited only Rs. 50000/- (Rs. Fifty Thousand only) to UPPCB against Rs 22.5 Lacs (Rs. Twenty Two lacs fifty thousand only).
7. That direction has been issued to M/s K.M. Sugar Mills (Sugar Unit), Masaudha, Ayodhya for depositing the rest amount (Rs. Twenty Two lacs only) of EC imposed against industry by UPPCB.
8. That on the basis of joint inspection report of CPCB & UPPCB Environmental Compensation (EC) of amount Rs 56.7 Lacs has been imposed against M/s K.M. Sugar Mills (Distillery Unit), Masaudha, Ayodhya.
9. That on the basis of joint inspection report of CPCB & UPPCB show cause notice u/s 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been issued by UPPCB against industry M/s K.M. Sugar Mills (Distillery Unit), Masaudha, Ayodhya vide letter no H 4114/C-6/consent water/01/show cause notice/Faizabad/19 dated 11.09.2019. Copy of the said letter is **annexed as annexure-06.**
10. That it is pertinent to mention here that Environmental Compensation (EC) of amount Rs. 36.5 Lacs (Rs. Thirty Six Lacs fifty Thousand only) was imposed by UPPCB against M/s K.M. Sugar Mills (Distillery Unit), Masaudha, Ayodhya for previous defaults made by the unit. Copy of the said letter is **annexed as annexure-07.**
11. That unit M/s K.M. Sugar Mills (Distillery Unit), Masaudha, Ayodhya deposited EC amount Rs. 36.5 Lacs (Rs. Thirty Six Lacs fifty Thousand only) to UPPCB on dated 15.02.2019.


EE
C-6


CEO,
C-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. (13076) सी-6/52/0A4-116/2014/2019

Dated 29-7-19

सेवा में,
रीजनल डायरेक्टर,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन00जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य के साथ ओ0ए0 संख्या 437/2015 विश्व विजय सिंड बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय अधिकरण द्वारा मै0 के0एम0 शुगर मिल्स (शुगर एवं आसवनी इकाई), मसौधा, अयोध्या के सम्बन्ध में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....In the light of earlier approach adopted by this Tribunal with regard to action on such reports1 we direct that the copies of the said reports be furnished to the CPCB and UPPCB for further appropriate action of prohibiting polluting activity, recovering compensation for the damage and prosecution. The said joint Committee may furnish an action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in. The state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance....."

माननीय अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु माननीय अधिकरण के आदेश में वर्णित के अनुसार संयुक्त निरीक्षण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री स्वामी नाथ राम, क्षेत्रीय अधिकारी, अयोध्या को नामित किया जाता है। कृपया संयुक्त निरीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को तत्काल नामित करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 19.07.2019 का अनुपालन सुनिश्चित कर एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय अधिकरण में समय से दाखिल किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक:-यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही ससमय किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव



संख्या (626/CPCB, एन एन 116/2014/2015)
दिनांक 09/08/19

Annexure No 2 - 13/08/19
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

Speed Post

B-375/PCI-III/2K12-2K13

06th August, 2019

To,
The Regional Director,
CPCB, Regional Directorate, (North)
Central Pollution Control Board
PICUP Bhawan, Ground Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010

Sub: Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 in Original Application No. 116/2014 with Original Application No. 437/2015 related to M/s K.M Sugar, Distillery & Sugar Division Faizabad, Uttar Pradesh.

Sir,
This has reference to your email dated 01.08.2019, on the subject matter. In this context, it is to inform you that the nomination of Sh. Runa Oraon, Scientist 'D' has been approved by the Member Secretary CPCB to represent CPCB in the Joint Committee.

It is requested to ensure timely compliance of the Hon'ble NGT order dated 19.07.2019

Yours faithfully,

(P.K. Mishra)
Additional Director &
Division Head, IPC-III

Copy to:
1. The Member Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Building No-TC-12V,
Vibhuthi Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 020

:For information please

(P.K. Mishra)

h.r.d./
CEO (C-6)

06/08/19
(आशीष सिंघानिया)
सदस्य सचिव

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
दूरभाष/Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website : www.cpcb.nic.in

Scanned by CamScanner



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं०

Ref. No. : 1099/MCT/2019

दिनांक : 19/8/2019
Dated :

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ

विषय- मा० एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ.ए. नं०- 116/2014 with O.A. No. 437/2015 मीरा शुक्ला बनाम
म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुक्रम में मेसर्स के.एम.
शुगर मिल्स लि० (शुगर एवं आसवनी इकाई) मोतीनगर, अयोध्या की निरीक्षण आख्या के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | अवगत करना है कि मा० एन.जी.टी. में
विचाराधीन ओ.ए. नं०- 116/2014 with O.A. No. 437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं
अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुक्रम में मेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि० (शुगर एवं आसवनी इकाई)
मोतीनगर, अयोध्या का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या की संयुक्त समिति
द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया | उक्त उद्योगों की निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ
एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

संलग्नक : उपरोक्तानुसार |

भवदीय
Swami Nath Singh
(स्वामी नाथ राम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: रिजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित |

क्षेत्रीय अधिकारी

**JOINT INSPECTION REPORT OF M/S K. M. Sugar Mills Limited (Sugar
and Distillery Division), Moti Nagar, Faizabad
(Uttar Pradesh)**

In the matter of

**Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. With Vishwa Vijay
Singh Vs UPPCB & Ors.
(O.A. No. 116/2014 with O.A. No. 437/2015)**

1.0 Background

In compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 in the matter of Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors. With Vishwa Vijay Singh Vs UPPCB & Ors. (O.A. No. 116/2014 with O.A. No. 437/2015), inspection of M/s K.M. Sugar Mills Limited (Distillery Division), Moti Nagar, Faizabad, UP was carried out by a joint team of CPCB, Regional Directorate, Lucknow and UPPCB, RO, Ayodhya on 05.08.2019. Salient observations made during the inspection are summarized as under:

2.0 Inspection of M/s K.M. Sugar Mills Limited (Distillery Division)

A: General Information	
1	Name of the unit and Address M/s K.M. Sugar Mills Limited (Distillery Division), Moti Nagar, Faizabad, UP
2	Name of the Proprietor/ Contact person – Designation Contact No. Mr. Amrendra Singh, General Manager 7571000592
3	Year of Commissioning. 1995
4	Sector Distillery
5	Production capacity • Products • Installed Prod. Cap. • Present Production Rectified Spirit (RS) & Absolute Alcohol (AA) 50 KLD and 47.3 KLD 40 KLD (RS)-on 04.08.2019
6	Raw materials & their requirement Molasses- 222.5 MT/Day



B (I): Water Pollution and its Control

1	Water Supply Source Water Consumption (KLD) > Industrial > Domestic	Bore wells (02 nos.) As reported-Avg. for July 2019 372.8KLD 15 KLD
2	Waste Water Generation (KLD) > Industrial > Domestic	As reported- Avg. for July 2019 Approx.197 KLD-spent wash, spent lees-55 KLD, condensate-248 KLD, 09 KLD (as reported)
3	Waste water treated (KLD) > Industrial > Domestic	As reported Approx.500 KLD- spent wash (as reported) Partially treated Through septic tanks and soak pits and remaining is discharged into drain.
4	Details of ETP > ETP Description with flow diagram > Details of Multi Effect Evaporator, if any	<ul style="list-style-type: none">• Lagoon (13024 KL)• Multi Effect Evaporator (MEE)• Slope Fired Boiler-16 TPH Four effect falling film type and three effect forced circulation type evaporator with capacity 650 KLD and evaporation capacity of 510 TPD.
5	Mode of disposal of treated effluent	Masoda drain meeting river Tamsa, a tributary of River Ganga.
6	Status of Consent under the Water Act- 1974	Valid upto 31.12.2019.

C: Air Pollution and its Control

1	Sources of Air Pollution	Boilers (02 nos.- 16 TPH and 10 TPH)
2	> Type of Fuel used with consumption > Stack details with APCS	Slope-100 TPD and bagasse-75 TPD <ul style="list-style-type: none">• 16 TPH slope fired boiler is equipped with bag filter as APCD and emission is vented through stack of height 65 m.

[Handwritten signatures]

		<ul style="list-style-type: none"> 10 TPH boiler is equipped with Dust Collector as APCD and emission is vented through stack of height 30 m.
3	Status of Consent under the Air Act- 1981	Valid upto 31.12.2019
D: Waste Management		
1	Type & Quantity of Waste Generated	Fermentation sludge, Boiler ash
2	Facility of Storage/ Disposal	Lagoon / low lying area
3	Disposal of waste	low-lying area

General Observations:

1. The unit is engaged in production of Rectified Spirit (RS) and Absolute Alcohol with capacity of 50 KLD and 47.3 KLD respectively using molasses as major raw material. During inspection, the unit was not in operation. It was informed by the unit representative; the unit is not in operation since morning(9.00AM) on the date of inspection due to leakage in pipeline of Rectifier Column lees line.
2. The unit has been granted consent to operate by UPPCB for production of 45 KLD of RS/Power Alcohol.
3. The unit has been imposed Environmental Compensation (EC) of amount Rs. 36,50, 000/- by UPPCB on 31.01.2019. The unit has submitted EC to UPPCB.

Water Pollution and its Control:

4. The unit is meeting its fresh water requirement through 02 borewells. Electromagnetic flow meter is provided at borewells. The unit has obtained NOC from CGWA for ground water abstraction, which is valid upto 22.10.2019. The unit is maintaining proper log book of fresh water consumption.

[Handwritten signatures]

5. The unit is generating approx.10 KL/KL (450 KLD) of RS production of spent wash on consented production. The ETP of the unit comprises of following:
- Lagoon-1(13024 KL)
 - Four effect falling film type and three effect forced circulation type evaporator with capacity 650 KLD and evaporation capacity of 510 TPD.
 - Slope Fired Boiler (16 TPH)
6. The unit has provided electromagnetic flow meter at the analyzer column to assess the quality of spent wash generation. The spent wash is fed to the MEE. The concentrated spent wash is fed to the Slope Fired Boiler using bagasse as supplementary fuel.
7. During inspection, MEE and Slope fired boiler was not operational.
8. The unit has provided spent wash storage lagoon with capacity 13024 KL, which is equivalent to concentrated spent wash storage capacity of approx. 48 days as against the CPCB directions for 07 days concentrated spent wash storage capacity. The unit has made a partition in between lagoon to make the storage capacity of 4500 KL and 8524 KL. It was informed by the unit representative that 8524 KL lagoon will be dismantled/leveled by the unit. During inspection, lagoon was found filled with the spent wash.
9. The unit has provided electromagnetic flow meter at MEE inlet and MEE concentrate/Slope. MTRT (Metal Tube Rotameter Type) Flow meter is provided at the condensate. As informed, the electromagnetic flow meter at MEE inlet and MEE concentrate/Slope is connected with CPCB server.
10. The unit representative informed that MEE condensate is reused for fermentation process after cooling through PHE.As the unit was not in operation hence, it could not be verified.
11. The unit representative informed that spent lees is fed to the cooling tower as make up water. As the unit was not in operation hence, it could not be verified.

[Handwritten signatures]

12. Other process effluent such as washing, cleaning effluent, gland leakage etc. was found collected in pit outside the unit. It was informed that it is used for gardening purpose. Camera is installed at the pit and informed that it is connected with CPCB/UPPCB server. Sample was collected from the pit. Analysis result is presented below:

Sampling location	Parameters					
	pH	SS (mg/L)	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Colour (Hazen)
Other process effluent	3.93	55	960	2105	4643	460
Standards	5.5-9.0	100	—	100	—	—

13. It is evident from the results that the unit is using untreated effluent for irrigation purpose.

14. It is informed that the unit has placed order for installation of Condensate Polishing Unit (CPU) and it will be commissioned by September 30, 2019. The information regarding installation and commissioning of CPU by September 30, 2019 has been submitted to UPPCB by the unit. Presently, the unit has no treatment system for other process effluent such as MEE condensate, spent lees, Cooling Tower Blow Down, gland leakages etc. except recycling of condensate and spent lees.

15. The unit has got adequacy report for ETP prepared by National Sugar Institute (NSI), Kanpur. As per adequacy report, the NSI has also recommended for installation of CPU.

[Handwritten signatures]

16. During inspection, sample was collected from the Masoda drain at Ayodhya-Sultanpur Highway and industry drain near Gate-A of the unit premises, which meets to Masoda drain. Analysis results are presented below:

Sampling location	Parameters					
	pH	SS (mg/L)	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Colour (Hazen)
Industry drain	7.66	30.7	875	52.7	162	360
Masoda drain	7.35	21	904	42.2	116	360

17. It is evident from the results that the unit is polluting Masoda drain.

18. Earlier, the unit was carrying out bio-composting as well as incineration for spent wash management. As per the direction of UPPCB, the unit has discontinued bio-composting operation since June, 2019. During inspection, no bio-composting process is carried out.

19. During inspection, ponding of coloured effluent was found near lagoons at two locations. It was informed by the unit representative that due to rain, surface runoff water gets stagnated. Sample was collected. Analysis results are presented below:

Sampling locations	Parameters					
	pH	Colour (Hazen)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)
Ponding effluent near lagoon-1	6.43	25000	128	14550	7325	12905
Ponding effluent near lagoon-2	5.49	3000	309	3115	1967	3057

[Handwritten signatures]

20. It is evident from the results that highly polluted effluent stored in low lying area.
21. The unit has provided two PTZ cameras at Lagoon and near other process effluent collection pit.
22. During inspection, effluent was found bypassed through drain (near village Madhopur) to low lying area. It was informed by the unit that domestic waste water from residential area of the unit is discharged. Sample was collected. Analysis results are presented below:

Sampling location	Parameters					
	pH	SS (mg/L)	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Colour (Hazen)
Bypass drain	7.57	7150	25124	5937	13234	20000
Standards	5.5-9.0	100	--	100	--	--

It is evident from the results that the unit is bypassing untreated effluent into low lying area.

Air Pollution and Its Control:

23. The unit has slope fired boiler with capacity 16 TPH using conc. spent wash/slope and bagasse as fuel. During inspection, Boiler was not in operation. The slope fired boiler is equipped with bag filter as APCD and emission are vented through stack of height approx. 65 m. The slope fired boiler is located in the sugar mill area.
24. The unit has installed Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMS) at the boiler stack. The OCEMS is connected with CPCB server.

[Handwritten signatures]

25. The unit has one boiler with capacity 10 TPH using bagasse as fuel. Boiler is equipped with dust collector as APCD and emission is vented through stack of height approximate 30 m. During inspection, boiler was not in operation.

26. Housekeeping of the unit was found very poor. The unit was found kept chemical drums in open area.

3.0 Inspection of M/s K.M. Sugar Mills Limited (Sugar Division)

A: General Information		
1.	Name of the unit and Address	M/s K.M. Sugar Mills Limited, Motinagar, Ayodhya, UP
2.	Name of the Proprietor/ Contact person – Designation Contact No.	Mr. V.N. Mishra G.M.(Production) 7571000526
3.	Year of Comm.	1950
4.	Sector	Private
5.	Cane crushing capacity	10000 TCD
6.	Cane crushed last year	11344224 Quintals (from 20.11.2018 to 21.04.2019)
7.	Sugar produced	1263288 Quintals (from 20.11.2018 to 21.04.2019)
8.	Molasses generation	567246 Quintals (from 20.11.2018 to 21.04.2019)
9.	Press Mud generation	388469 Quintals (from 20.11.2018 to 21.04.2019)
B: Water Pollution and its Control:		
1.	Water Supply Source Water Consumption (KLD)-As reported > Industrial > Domestic	Tube wells (02 nos.) Approx.763.53 (Avg. for April,2019) 172.1 (Avg. for April,2019)
2.	Waste Water Generation (KLD)- As reported > Industrial > Domestic	 525.67 (Avg. for April,2019) 138 (Avg. for April,2019)

[Handwritten signatures]

3.	Waste water treated (KLD)- As reported > Industrial > Domestic	525.67 (Avg. for March,2017) Partially send to soak pits and remaining is discharged into Masoda drain/low lying area.
4.	Details of ETP	ETP comprises of following units: a. Oil and Grease Skimmer b. Oil and Grease Pit c. Equalization Tank d. Chemical Dosing Tank e. Primary Clarifier f. Aeration Tank- g. Secondary Clarifier h. Multi Grade Filter, i. Activated Carbon Filter and j. Sludge Drying Beds.
5.	Mode of disposal of treated effluent	The unit claims to reuse in irrigation.
6.	Flow measuring device installed at outlet of ETP	Ultrasonic Flow meter
7.	Status of Consent under the Water Act- 1974	Valid upto 31.12.2019.

B (I) Information regarding irrigation: AS REPORTED

1.	Details of treatment of effluent before ferti-irrigation	Treated effluent from ETP is used for irrigation.
2.	Command area for irrigation (available land area)	100 Hectare
3.	System of transportation of treated effluent upto field.	Through pipeline
4.	Formal agreements with farmers for using treated effluent	Yes
5.	Storage facility available for treated effluent during low demand period	Lagoon with capacity 160.5 KL,285.39 KL and 5000 KL

C: Air Pollution and its Control

1.	Sources of Air Pollution	Boilers
2.	> Type of Fuel used	Bagasse-70 TPH

[Handwritten signatures]

	Stack details with APCS	Sl. No.	Boiler Capacity	APCS	Stack Height
		1.	100 TPH	ESP	50 m
		2.	50 TPH		
		3.	65 TPH	Multicyclone	40 m
3.	Status of Consent under the Air Act-1981	Valid upto 31.12.2019.			
D: Waste Management					
1.	Type & Quantity of Waste Generated	ETP sludge-16620 Quintals Press mud-388469 Quintals Boiler ash- 44628 Quintals Used oil -07-10 kg per day			
2.	Facility of Storage/ Disposal (as reported)	ETP Sludge- ETP sludge is being used as manure Press Mud-Given to farmers for use as manure Boiler ash- Boiler Ash is being used in filling of low land area on demand of farmers. Used oil- is mixed with bagasse and fired in boiler.			
3.	Disposal of waste	As above			
4.	Status of Grant of authorization	Valid upto 12.04.2019. Not applied for renewal.			

Observations:

1. The unit has infrastructure for production of Sugar using Sugar cane as major raw material with consented capacity of 10000 TCD. During the inspection, unit was not in operation due to non-crushing season. The unit has started its cane crushing on 20.11.2018 and closed can crushing on 21.04.2019 for the crushing season 2018-19.
2. The unit has presently two (02) bore wells to meet its fresh water requirement. Electromagnetic water meters are installed in the bore wells and log book of

[Handwritten signatures]

fresh water consumption is maintained. The unit has obtained NOC from CGWA on 16.11.2017, which is valid upto 31.10.2019.

3. The unit has established Effluent Treatment Plant (ETP), which comprises of following:
 - a. Oil and Grease Skimmer
 - b. Oil and Grease Pit
 - c. Equalization Tank
 - d. Chemical Dosing Tank
 - e. Primary Clarifier
 - f. Aeration Tank-
 - g. Secondary Clarifier
 - h. Multi Grade Filter,
 - i. Activated Carbon Filter and
 - j. Sludge Drying Beds.

4. During inspection, ETP was not in operation. As per log book available with the unit, ETP operation was closed on 03.06.2019 for current crushing season (2018-19).
5. As informed, treated effluent is used for irrigation in its own land (approx.25 acres) and adjacent farmers land. It was informed that agreement has been made with the farmers.
6. The unit has provided three lagoons with capacity 160.5 KL,285.39 KL and 5000 KL. It was informed that the unit is in the process to prepare irrigation management plan through NSI, Kanpur, which is pending.
7. The unit has provided three lagoons for the storage of molasses. During inspection, it was observed that one lagoon was damaged and HDPE lining was also found damaged.



8. Presently, the unit has no treatment system for the spray pond overflow effluent/injection cooling water. The unit has placed order for treatment system for spray pond overflow effluent/injection cooling water has been placed and it will be commissioned before next crushing season.
9. The unit has installed OCEMS at the outlet of ETP and it was informed that OCEMS data is connected with UPPCB and CPCB server.
10. The unit has placed order for the installation of Sewage Treatment Plant (STP) with capacity 120 KLD for domestic waste water generated from colony (sugar and distillery). It was informed that it will be commissioned by 30.09.2019. Presently, domestic waste water is either discharged into Masoda drain or low-lying area near village Madhopur.
11. The unit has maintained log book of ETP operation, energy meter of ETP.
12. The unit was imposed Environmental Compensation (EC) of amount Rs. 22,50,000/- by UPPCB on 07.02. 2019 for bypassing of effluent. The unit has submitted only Rs. 50,000/- EC to UPPCB.

4.0 Ground water Quality monitoring around M/s K M Sugar Mills Limited:

Ground water samples were collected from two locations near premises of unit and at Itaura Village. The analysis results of the ground water sample collected are as below:

Parameters	Units	Industry premises (Location-1)	Itaura Village (Location-2)	Drinking water standards as per BIS 10500:2012 (Acceptable Limit)
pH	--	7.07	7.08	6.5-8.5
Colour	(Hazen)	5.0	05	05

Parameters	Units	Industry premises (Location-1)	Itaura Village (Location-2)	Drinking water standards as per BIS 10500:2012 (Acceptable Limit)
Turbidity	(NTU)	BDL	15	01
TDS	(mg/l)	553	366	500
EC	μ S/cm	881	572	--
COD	(mg/l)	7.55	BDL	--
BOD	(mg/l)	BDL	BDL	--
Fluoride (F)	(mg/l)	BDL	BDL	01
Chloride (Cl)	(mg/l)	44	BDL	250
Sulphate (SO ₄)	(mg/l)	46.8	5.86	200
Total Alkalinity	(mg/l)	342	300	200
Total Hardness	(mg/l)	515	340	200
Ca	(mg/l)	115	97.5	75
Mg	(mg/l)	55.2	23.2	30
Na	(mg/l)	37	19.6	--
K	(mg/l)	8.83	8.04	--
Nitrate	(mg/l)	9.90	4.20	45

It is evident from the results that the ground water sample is meeting with acceptable limit as per BIS standards except Total Alkalinity, Total Hardness, Ca at both locations, Turbidity at location-2, TDS and Mg at location-1.

5.0 Masoda Drain and Tamsa River Water Quality:

Masoda drain carries domestic sewage of the M/s K M Sugar Mills Limited (Sugar and Distillery) as well as adjacent nearby villages. It also carries treated/partially treated/untreated effluent of Sugar and distillery unit of M/s K M Sugar Mills Limited. It meets River Tamsa after traversing approx. 14 km near Ajnana Village. During inspection, it was observed that effluent/sewage may get stagnated at Itaura Jheel/ Mejha Taal as the area is seems to be wetland. Sample was collected from Masoda drain after Itaura Jheel/ Mejha Taal at Itaura village. Analysis results are presented below:

Sampling locations	Parameters					
	pH	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Colour (Hazen)
Masoda Drain at Itaura Village	7.59	33	599	20.6	84.4	300

6.0 Environmental Compensation:

1. As per Hon'ble NGT order dated 19.07.2019, the NGT committee headed by Justice D.P. Singh, Former Judge of Hon'ble High Court, Allahabad has made recommendations including Environmental Compensation (EC) to the sugar and distillery units.

Recommendations:

Distillery Division-

It is evident from the above observations, that M/s K M Sugar Mills Limited (Distillery) is found polluting Masoda drain as well as bypassing effluent into low lying area. In light of report of the NGT committee headed by Justice D.P. Singh, Former Judge of Hon'ble High Court, Allahabad, following is recommended:



1. The unit shall ensure for the complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 including Environmental compensation (EC). The necessary directions may be issued by UPPCB to recover compensation.
2. The distillery unit may not be allowed by UPPCB to operate till compliance of following:
 - a. The unit should immediately close bypass drains. Integrate all effluent streams and subject them for suitable treatment in ETP.
 - b. The distillery unit should expediate to install CPU as suggested by NSI, Kanpur for treatment of other process effluent
 - c. The unit should expediate to install Sewage Treatment Plant (STP) for sugar and distillery. Treated sewage should be reused for gardening/irrigation purpose.
 - d. The distillery unit should immediately close drain carrying treated/untreated/partially treated effluent to Masoda drain. No effluent should be discharged into Masoda drain.
 - e. The distillery unit should not dispose coloured/untreated effluent on land.
 - f. The distillery unit should restrict the spent wash storage capacity as per CPCB direction. Remaining lagoon should be dismantled.
 - g. The unit should strictly comply with the consent conditions in totality.

Sugar Division:

It is evident from the above observations, that M/s K M Sugar Mills Limited is found not in operation during inspection. In light of report of the NGT committee headed by Justice D.P. Singh, Former Judge of Hon'ble High Court, Allahabad, following is recommended:

1. The unit shall ensure complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 including Environmental compensation (EC). The necessary directions may be issued by UPPCB to recover compensation.
2. The unit may be directed to comply with UPPCB directions dated 07.02.2019 to submit EC of amount 22,50,000/- as the unit has submitted only 50,000/- to UPPCB.
3. The Sugar unit may not be allowed by UPPCB till compliance of following:
 - a. The Sugar unit should immediately close drain carrying effluent to Masoda drain. No effluent should be discharged into Masoda drain.
 - b. The Sugar unit should repair the damaged molasses storage lagoon.
 - c. The Sugar unit should integrate all stream of effluent and route through ETP.
 - d. The Sugar unit should ensure that an irrigation plan is prepared through reputed govt. institution and treated effluent should be used for gardening/irrigation purpose as per irrigation plan. It should be ensured that treated effluent used for irrigation in the farmers field should be carried out with proper agreement.
 - e. The unit should strictly comply with the new standards notified G.S.R. 35 (E), MoEF & CC, January 14, 2016 for sugar industry such as notified standards for effluent disposal, waste water conservation and pollution control management.
 - f. The unit should expediate to install treatment system for the spray pond overflow effluent/injection cooling water before start of next crushing season.
 - g. The unit should obtain HW authorization.

Inspection Team:


1. Sh. Swaminath Ram, Regional Officer, UPPCB, RO, Ayodhya
2. Sh. Runa Oraon, Sc. 'D', CPCB, RD(N), Lucknow

Swami Nath Ram
19.08.2019
Runa Oraon

**ANNEXURE - I: M/S K. M. Sugar Mills Limited (Sugar and Distillery Division),
Moti Nagar, Faizabad**




Pic: Damaged molasses lagoon



Pic: Ponding Near Molasses Lagoon




Pic: Ponding Near Molasses Collection Tank



Pic: Leakage in Rectifying Column



Pic: Bypass drain Near Village Madhopur



Pic: Bypass drain Near Gate A

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (शुगर इकाई),
मोती नगर,
अयोध्या।

यह कि मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (शुगर इकाई), मोती नगर, अयोध्या जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में शुगर केन का प्रयोग कर शुगर के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का निरीक्षण माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय ऑफ सीजन होने के कारण उत्पादन कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण समिति द्वारा निम्न संस्तुतियों दी गयी हैं:-

1. The unit shall ensure complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 including Environmental compensation (EC). The necessary direction may be issued by UPPCB to recover compensation.
2. The unit may be directed to comply with UPPCB directions dated 07.02.2019 to submit EC to amount as 22,50,000/- as the unit has submitted only as 50,000/- to UPPCB.
3. The Sugar unit may not be allowed by UPPCB till compliance to following:
 - a. The Sugar unit should immediately close drain carrying effluent to Masoda drain. No effluent should be discharged into Masoda drain.
 - b. The Sugar unit should repair the damaged molasses storage lagoon.
 - c. The Sugar unit should integrate all stream of effluent and route through ETP.
 - d. The Sugar unit should ensure that an irrigation plan is prepared through reputed govt. institution and treated effluent should be used for gardening/irrigation purpose as per irrigation plan. It should be ensured that treated effluent used for irrigation in the farmer's field should be carried with proper agreement.
 - e. The unit should strictly comply with the new standards notified G.S.R. 35 (E), MoEF & CC, January 14, 2016 for sugar industry such as notified standards for effluent disposal, waste water conservation and pollution control management.
 - f. The unit should expedite to install treatment system for the spray pond overflow effluent/injection cooling water before start of next crushing season.
 - g. The unit should obtain HW authorization.

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि उद्योग को निर्देश दिये जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा-33ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग को निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तक यथावत बन्द रखे जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 07.02.2019 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित रू० 22.5 लाख की धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके सापेक्ष में उद्योग द्वारा केवल रू० 500000/- क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड में जमा की गयी है। अतः अवशेष धनराशि रू० 22 लाख बोर्ड में तत्काल जमा किया जाये।
2. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह को मसोधा ड्रेन में ले जाने वाले समस्त ड्रेनों को तत्काल बन्द किया जाये एवं कोई भी उत्प्रवाह मसोधा ड्रेन में निस्तारित न किया जाये।
3. उद्योग द्वारा क्षतिग्रस्त मोलासेस स्टोरेज लैगून की तत्काल मरम्मत किया जाये।
4. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह के समस्त स्त्रीम को समेकित कर ई०टी०पी० में लिया जाये।
5. उद्योग द्वारा किसी ख्याति प्राप्त सरकारी संस्था से एरीगेशन मैनेजमेन्ट प्लान तैयार कराया जाये तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को उक्त प्लान के अनुसार गार्डनिंग/सिचाई हेतु प्रयोग किया जाये। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह का प्रयोग सिचाई हेतु उन्हीं किसानों की जमीन में किया जाये जिनसे विधिवत एग्रीमेन्ट प्राप्त किया गया हो।
6. उद्योग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 के अनुसार उत्प्रवाह का निस्तारण, वेस्ट वाटर संरक्षण तथा पॉल्यूशन कन्ट्रोल मैनेजमेन्ट किया जाये।
7. उद्योग द्वारा स्प्रे पाण्ड ओवर फलों/इन्जेक्शन कूलिंग वाटर के शुद्धीकरण हेतु शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना में तेजी लाया जाये तथा आगामी कसिंग सीजन के पूर्व शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित कर ली जाये।
8. उद्योग द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्राधिकार प्राप्त किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु

भुवदीय,

(स)

26/8/19

(एस०बी० सिंह)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

वृत्त-6

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. रीजनल डायरेक्टर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूतल पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(स)

26/8/19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 132/115/सी-6/सहमति जल/5/का0ब0नो0/अयोध्या/19
सेवा में,

दिनांक 7-2-19
पंजीकृत

मै0 के0एम0 शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई),
मोतीनगर,
अयोध्या।

यह कि मै0 के0एम0 शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर इकाई), मोतीनगर, अयोध्या जो कि कच्चे माल के रूप में गन्ने आदि का प्रयोग कर शुगर के उत्पादन हेतु उपरोक्त स्थल पर कार्यरत है। जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.01.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग एक शुगर इकाई है। उद्योग की गन्ना घेराई क्षमता 10000 टन/दिन है। उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 1100 किली0 प्रतिदिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र संचालित पाया गया।

यह कि निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के एयरेशन टैंक में बायोगैस का स्तर अधिकतम 15 प्रतिशत होना तथा स्लज ड्राइंग बेड्स पर लम्बे समय से प्राइमरी एवं सैकेण्डरी स्लज निस्तारण नहीं होना पाया गया जिससे स्थानविक है कि उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का समुचित संचालन नहीं किया जा रहा है। इकाई द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारण की गुणता जांच हेतु ऑनलाइन मानीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है परन्तु यह सिरटन खराब पाया गया।

यह कि उद्योग से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकरण के पश्चात् इकाई परिसर में बिछायी गयी भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से स्थानीय नाले में निस्तारित किया जाता है जो कि अन्ततः तमसा नदी में मिलता है। निरीक्षण के समय एकत्र किये गये शुद्धीकृत उत्प्रवाह के नमूने में बी0ओ0डी0 की मात्रा 44 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0 की मात्रा 272 मिग्रा0/ली0 तथा सस्पेन्डेड सॉलिड की मात्रा 58 मिग्रा0/ली0 पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि निरीक्षण के समय पाया गया कि उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह के मापन व्यवस्था खराब है तथा भौतिक रूप से यह परिलक्षित हुआ है कि ई0टी0पी0 इक्वालाइजेशन टैंक को रॉ इफ्ल्यूएंट आपूर्ति समुचित नहीं है। इस संबंध में उपस्थित प्रतिनिधि से चर्चा की गयी तथा ई0टी0पी0 के आस-पास इकाई द्वारा बिछायी गयी भूमिगत विभिन्न पाइप लाइन से जानकारी में आया कि अशोधित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु मैकेनिकल प्रबन्धन एवं पाइप लाइन की व्यवस्था स्थित है तथा इकाई प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया है कि इकाई द्वारा अशोधित उत्प्रवाह बाइपास हेतु भूमिगत पाइप लाइन प्रबन्धन किया गया है। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में उपयोग हेतु सिंचाई योजना के संबंध में कोई अनुपालन नहीं किया गया है और न ही सिंचाई एवं अन्य प्रयोजन हेतु शुद्धीकृत उत्प्रवाह का उपयोग होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा टैंकर के माध्यम से शुद्धीकृत उत्प्रवाह को मिल परिसर में जल छिड़काव आदि हेतु प्रयुक्त किया जाना बताया गया। दिनांक 24.01.2019 एवं 25.01.2019 को बरसात हो जाने के कारण जल छिड़काव कार्य होना नहीं पाया गया तथा ऐसी स्थिति में गन्ना क्रशिंग एवं चीनी उत्पादन से उत्पन्न उत्प्रवाह को शोधित/अशोधित अवस्था में नाले में डिस्चार्ज किया जाना स्वीकार किया गया है।

यह कि उद्योग को इस कार्यालय के पत्रांक 16891/UPPCB/Faizabad(UPPCB RO/CTO/Water/Faizabad/2018 दिनांक 27.02.2018 द्वारा दिनांक 22.02.2018 से दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु सशर्त सहमति स्वीकृत की गयी है। उद्योग द्वारा सहमति की शर्त संख्या 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 एवं 16 का अनुपालन नहीं किया गया है।

यह कि उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक-873/डब्लू0सी0/ए0सी0/नोटिस/ 2018 दिनांक 15.12.2018 द्वारा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उद्योग द्वारा निर्देशों के अनुपालन नहीं किया गया है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

अतः मा० राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आ०ए० संख्या-200/2014 एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 में यह उल्लेख है कि प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रत्येक उल्लंघन पर रू० 50,000/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाना आदेशित है। उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लिमिटेड (शुगर डिवीजन), मोती नगर, अयोध्या द्वारा अशोधित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु बाई पास की व्यवस्था की गयी है तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 15.12.2018 का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः दिनांक 15.12.2018 से दिनांक 28.01.2019 तक 45 दिन की अवधि तक रू० 50,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 22,50,000/- (रुपये बाइस लाख पच्चास हजार) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है। तथा निर्देशित किया है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से बैंक के खाता सं०-701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त जन-हित एवं जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि उद्योग को संचालन से रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपटित धारा-27(2) के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि क्यों ने उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि० (शुगर इकाई), मोतीनगर, अयोध्या को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत जारी सहमति आदेश पत्रांक 16891/UPPCB/Faizabad(UPPCB RO/CTO/Water/ Faizabad/2018 दिनांक 27.02.2018 को निलम्बित क्यों न कर दिया जाये ?
- 2 यह कि क्यों न मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि० (शुगर इकाई), मोतीनगर, अयोध्या के संचालन को बन्द कर दिया जाये ?
- 3 यह कि क्यों ने सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि औद्योगिक संयंत्र मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि० (शुगर इकाई), मोतीनगर, अयोध्या को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति को विच्छेदित करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अधवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, अयोध्या।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या
3. अधिसूची अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, अयोध्या
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग का विलम्बतम् 15 दिन में निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 126/ सहमति जल/01/का0ब0नो0/फैजा0/19

Dated 11/9/19
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई),
मोती नगर,
जनपद- अयोध्या।

यह कि मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या जो कि कच्चे माल के रूप में मोलासेस आदि का प्रयोग कर रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट एवं पावर एल्कोहल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य विद ओ0ए0सं0-437/2015 विश्व विजय सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुरूप में मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0, (आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या की संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग एक आसवनी इकाई है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस का प्रयोग कर रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट एवं एब्सेल्यूट एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 50 के0एल0 प्रतिदिन की है। निरीक्षण के समय उद्योग में 40 के0एल0 प्रतिदिन की दर से उत्पादन किया जा रहा है। उद्योग से जनित स्पेन्टवाश (अत्यधिक प्रदूषित उत्प्रवाह) के निस्तारण हेतु शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था स्थापित है जिसके अन्तर्गत मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर तथा स्लोप फायर्ड ब्वायलर स्थापित है। निरीक्षण के समय मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर तथा स्लोप फायर्ड ब्वायलर संचालित नहीं पाये गये।

यह कि उद्योग द्वारा स्पेन्टवाश के भण्डारण हेतु 13024 के0एल0 क्षमता का लैगून स्थापित किया गया है, जो कि उद्योग से जनित 48 दिनों के स्पेन्टवाश के भण्डारण की क्षमता का है जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के निर्देशों के अनुसार लैगून के भण्डारण की क्षमता अधिकतम 07 दिन में जनित स्पेन्टवाश के संतुल्य होनी चाहिए। उद्योग द्वारा मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर के इनलेट तथा मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर के आउटलेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर स्थापित किया गया है। उद्योग द्वारा फ्लोमीटर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर के कण्डनशेड को कूलिंग के पश्चात् फरमेनटेशन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। उक्त इकाई संचालित न होने कारण इसका सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह कि वाशिंग, ग्लैण्ड लीकेज इत्यादि से जनित उत्प्रवाह को पिट में एकत्रण किया जाता पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इसे सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। उक्त पिट से एकत्रित उत्प्रवाह में बी0ओ0डी की मात्रा 2105 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

यह कि उद्योग द्वारा कण्डनसेट पॉलिसिंग यूनिट की स्थापना हेतु कार्य आदेश दिया गया है। सी.पी.यू. की स्थापना दिनांक 30.09.2019 तक किया जाना होगा। वर्तमान में उद्योग में मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर, कण्डनसेट, स्पेन्टलीज, कूलिंग टावर ब्लोडाउन, ग्लैण्ड लीकेज इत्यादि में से केवल कण्डनसेट एवं स्पेन्टलीज को छोड़कर अन्य उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था नहीं।

यह कि उद्योग द्वारा नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर से ई0टी0पी0 की एडीकेंसी रिपोर्ट तैयार कराया जा चुका है, जिसमें कण्डनसेट पॉलिशिंग यूनिट की स्थापना की संस्तुति की गई है।

यह कि निरीक्षण के समय अयोध्या-सुल्तानपुर हाईवे पर मसोधा ड्रेन तथा इण्डस्ट्री ड्रेन का नमूना लिया गया, जिसमें बी0ओ0डी0 की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पाई गई हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उद्योग मसोधा ड्रेन की जल गुणता को प्रदूषित कर रहा है।

यह कि निरीक्षण के समय स्पेन्टवाश भण्डारण लैगून के निकट 2 स्थानों पर नमूना एकत्र किया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षा के कारण वर्षा जल एकत्र हो गया है। दोनों स्थानों पर एकत्र किए गए नमूनों में बी0ओ0डी0 की मात्रा क्रमशः 7325 मिग्रा0/ली0 तथा 1967 मिग्रा0/ली0 पाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उद्योग में अत्यधिक प्रदूषित उत्प्रवाह लो-लाइंग एरिया में भण्डारित है।

यह कि निरीक्षण के समय उद्योग का उत्प्रवाह बाईपास होकर ड्रेन के माध्यम से ग्राम माधवपुर के निकट लो-लाइंग एरिया में जाता हुआ पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के आवासीय कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह इसमें निस्तारित होता है। निरीक्षण के समय एकत्र किये गये बाईपास ड्रेन के उत्प्रवाह में बी0ओ0डी0 की मात्रा 5937 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0 की मात्रा 13234 मिग्रा0/ली0 तथा सस्पेण्डेड सालिड्स की मात्रा 7150 मिग्रा0/ली0 पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि उद्योग द्वारा अशुद्धीकृत उत्प्रवाह को लो-लाइंग एरिया में बाईपास किया जा रहा है।

यह कि समिति द्वारा उद्योग के विरुद्ध निम्न संस्तुतियों की हैं:-

1. The unit shall ensure for the complete compliance of Hon'ble NGT order dated 19.07.2019 including Environmental compensation (EC). The necessary directions may be issued by UPPCB to recover compensation.
2. The distillery unit may not be allowed by UPPCB to operate till compliance of following:
 - a. The unit should immediately close bypass drains. Integrate all effluent streams and subject them for suitable treatment in ETP.
 - b. The distillery unit should expediate to install CPU as suggested by NSI, Kanpur for treatment of other process effluent
 - c. The unit should expediate to install Sewage Treatment Plant (STP) for sugar and distillery. Treated sewage should be reused for gardening/irrigation purpose.
 - d. The distillery unit should immediately close drain carrying treated/untreated/partially treated effluent to Masoda drain. No effluent should be discharged into Masoda drain.
 - e. The distillery unit should not dispose coloured/untreated effluent on land.
 - f. The distillery unit should restrict the spent wash storage capacity as per CPCB direction. Remaining lagoon should be dismantled.
 - g. The unit should strictly comply with the consent conditions in totality.

यह कि उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-25/26 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 16549/यू0पी0पी0सी0वी0/फैजा0 (यू0पी0पी0सी0वी0 आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/जल/फैजा0/2018 दिनांक 16.03.2018 द्वारा दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2019 तक शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सशर्त सहमति निर्गत किया गया है। उद्योग द्वारा सहमति की शर्तों का अनुपालन न करते हुये शून्य उत्प्रवाह निस्तारण का उल्लंघन किया जा रहा है।

यह कि संयुक्त समिति की आख्या से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा निरीक्षण की तिथि तक राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार दिनांक 29.01.2019 से दिनांक 05.08.2019 तक की अवधि हेतु डिफाल्ट किया गया। इस प्रकार उद्योग द्वारा कुल 189 दिन का डिफाल्ट किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये कार्य प्रणाली के अनुसार उद्योग के विरुद्ध कुल ₹0 56.70 लाख (₹0 छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खाता संख्या-701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


अतएव जन-हित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग को संचालन से रोका जायें।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध ₹0 56.70 लाख (₹0 छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपठित धारा-27(2) के अर्न्तगत आपके उद्योग के विरुद्ध निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम-मसौधा, पोस्ट-मोतीनगर, अयोध्या को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-25/26 के अर्न्तगत जारी सहमति पत्रांक एच 16549/यू.पी.पी.सी.वी./फैजा0(यू.पी.पी.सी.वी.आर0ओ0)/सी.टी.ओ./जल/फैजा0/2018 दिनांक 16.03.2018 को निरस्त/रिवोक कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम-मसौधा, पोस्ट-मोतीनगर, अयोध्या के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके औद्योगिक संयंत्र मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम-मसौधा, पोस्ट-मोतीनगर, अयोध्या को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति को विच्छेदित करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, अयोध्या।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
- 3 रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 4 अधिषापी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, अयोध्या।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ कि उद्योग का विलम्बतम 15 दिन में निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-32148

Ref. No..... / सहमति जल/01/बन्दी/फैजा0/19

Dated 31-01-2019
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई)
मोती नगर,
जनपद- अयोध्या।

यह कि मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई)मोती नगर, अयोध्या जो कि कच्चे माल के रूप में मोलासेस आदि का प्रयोग कर रेक्ट्रीफाईड सिरट एवं पावर एल्कोहल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.01.2019 को किया गया। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस का प्रयोग कर रेक्ट्रीफाईड सिरट एवं पावर एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 50 किली०/दिन है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उद्योग का उत्पादन कार्य दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 08:00 बजे स्वेच्छा से बन्द कर दिया गया है। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द है परन्तु कलैण्डरिया क्लीनिंग वाटर उत्प्रवाह के रूप में लैगून पर डिस्चार्ज हो रहा है।

यह कि उद्योग में एल्कोहल उत्पादन से उत्पन्न स्पेन्टवाश एवं मोलासेस लिकर टाइप उत्प्रवाह को भण्डारण हेतु परिसर में विभिन्न क्षमता के 04 लैगून स्थापित हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 13000 किली०, 1766 किली०, 1650 किली० तथा 250 किली० बतायी गयी है। 13000 किली०, 3766 किली० एवं 250 किली० क्षमता के लैगून्स पर क्षमता के सापेक्ष प्रत्येक में 96 प्रतिशत स्पेन्टवाश एवं मोलासेस लिकर टाइप उत्प्रवाह भरा हुआ पाया गया। 1650 किली० क्षमता के लैगून में तली पर अल्प मात्रा में स्पेन्टवाश/लिकर प्रकृति का उत्प्रवाह जिसकी अनुमानित मात्रा 50 किली० सम्भावित है, भण्डारित पाया गया। इस सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत लैगून में के०एम० शुगर मिल्स लि० से उत्पन्न मोलासेस के भण्डारण हेतु प्रयोग किया जाता रहा है जो कि वर्तमान में प्रयुक्त न होने तथा दिनांक 24.01.2019 एवं 25.01.2019 में हुई बरसात से स्पेन्टवाश जैसा उत्प्रवाह जनित हुआ है, जो कि भण्डारित है।

यह कि निरीक्षण के समय स्पेन्टवाश/लिकर वाश की भारी मात्रा एवं जनन एवं अनियमित भण्डारण के सम्बन्ध में उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्पेन्टवाश को मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर द्वारा सांद्रित किये जाने के उपरान्त बगस के साथ मिक्स कर स्लोप ब्यालर (क्षमता 16 टी.पी.एच.) के संचालन हेतु ईंधन के रूप में उपभोग किया जाता है। उत्पादन कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण स्पेन्टवाश सांद्रण प्रक्रिया तथा स्लोप ब्यालर का संचालन बन्द होना पाया गया।

यह कि उद्योग द्वारा स्पेन्टवाश को कम्पोस्ट यार्ड में कम्पोस्ट तैयार किये जाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कम्पोस्ट यार्ड में स्पेन्टवाश भण्डारण टैंक जिसकी क्षमता 250 किली० है पूर्णतया अर्थात् 96 प्रतिशत क्षमता तक भरा होना पाया गया। उद्योग द्वारा लगातार कम्पोस्ट उत्पादन हेतु प्रयुक्त स्पेन्टवाश पूर्णतया ड्राई न होने के कारण दिनांक 24.01.2019 एवं 25.01.2019 में हुई बरसात के कारण इफ्लूयेन्ट लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होना दृष्टिगोचर हुआ। वर्षा जल मिश्रित स्पेन्टवाश की भारी मात्रा उत्पन्न हो जाने के कारण कम्पोस्ट यार्ड में विभिन्न स्थलों पर यत्र-तत्र भरा हुआ पाया गया तथा आगामी एक सप्ताह तक कनज्यूम/ड्राई होना सम्भावित नहीं है। इकाई द्वारा उत्पादन मात्रा के सापेक्ष स्पेन्टवाश/लिकर वाश समुचित कम्पोस्टिंग आदि का नियंत्रण नहीं रखा जाना पाया गया है।

यह कि उद्योग संचालन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा वर्तमान में उपरोक्त जल प्रदूषण को समाधान हेतु (बरसात/आकस्मिक स्थिति में उपरोक्त वर्णित प्रकार के उत्प्रवाह के निस्तारण) परिसर में भूमिगत पाइप लाइन डाली गयी है। परिसर के अन्तर्गत एक पाइप लाइन से शुगर उत्पादन डिबीजन तथा दूसरी पाइप लाइन से डिस्टिलरी उत्पादन डिबीजन से जनित विभिन्न प्रकृति के उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु अस्थायी भूमिगत पाइप लाइन का प्रबन्धन किया जाना पाया गया तथा उक्त वर्णित प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह को पाइप लाइन के माध्यम से ड्रेन आउट करते हुये मिल परिसर के निकटस्थ स्थानीय नाले में किया गया है, जो कि अत्याधिक मात्रा में नाले में भण्डारित होना तथा ग्रेवटेशनल पलो से इटीस एवं अजंजा गाँव होते हुये तमसा नदी में निस्तारण होता हुआ पाया गया।

यह कि उद्योग को इस कार्यालय के पत्रांक 16549/यू.पी.सी.बी./फैजा./सी.टी.ओ. -जल दिनांक 16.03.2018 द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक शून्य उत्स्रवाह निस्तारण हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उद्योग द्वारा सहमति की शर्त संख्या 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 एवं 19 का अनुपालन नहीं किया गया है।

यह कि समिति द्वारा क्षेत्र में व्याप्त न्यूसेन्स, संक्रामक रोगों की आशंका एवं कृषि भूमि, पर्यावरणीय कुप्रभाव नियंत्रण हेतु तथा भूगर्भीय जल प्रदूषण की वास्तविक स्थिति बोर्ड को इकाई द्वारा प्रेषित किये जाने के निर्देश पारित किया जाना उचित बताया गया है ताकि गुण दोष के दृष्टिगत प्रश्नगत नाले की समुचित सफाई, ड्रेजिंग आदि होने से स्थानीय निवासियों द्वारा प्रकट की गई समस्या एवं जल प्रदूषण की सम्भावनाओं का निदान बोर्ड द्वारा विचारित किया जा सके। समिति की उक्त संस्तुतियों के दृष्टिगत उद्योग को समयबद्ध अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. स्पेन्टवाश के भण्डारण हेतु स्थापित लैगून (क्षमता 13000 किली०) से ओवरफ्लो को रोकने हेतु लैगून में 0.3 मी० फ्रीबोर्ड बनाये जायें तथा लैगून में स्पेन्टवाश का स्तर (लेवल) 25 प्रतिशत होने तक आसवनी इकाई अभी औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन कार्य न किया जाये।
2. उद्योग द्वारा उत्स्रवाह निस्तारण हेतु खाली गयी भूमिगत पाइप लाइन को तत्काल डिस्मेन्टल किया जाय।
3. बायोक्वॉरिस्टिंग यार्ड पर दो शैलो हैण्डपम्प स्थापित किये जायें ताकि भूगर्भीय प्रदूषण की जाँच सम्बन्धी विश्लेषण किया जा सके।
4. उद्योग द्वारा बायोक्वॉरिस्टिंग खाद के उत्पादन एवं बिक्री के ऑकड़े (आवश्यक प्रपत्रों के साथ, जिससे इनका सत्यापन सम्भव हो) मासिक रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
5. बायो फर्टिलाइजर के पैथाजन रहित होने के सम्बन्ध में फर्टिलाइजर का विश्लेषण कराकर आख्या एक माह में प्रेषित किया जाय।
6. प्रति कि०ली० एल्कोहल के उत्पादन पर जनित स्पेन्टवाश के अनुश्रवण हेतु मीटरिंग डिवाइस लगाने के साथ-साथ इस आशय का निर्देश दिया जाना उचित होगा कि उत्पादन प्रक्रिया से प्रति एल्कोहल पर चार्टर द्वारा निर्धारित मानकों की स्पेन्टवाश की मात्रा से अधिक जनित न हो सके। मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर की कार्य दक्षता स्पेन्टवाश की प्रति कि०ली० जनित मात्रा एवं बायो क्वॉरिस्टिंग प्रक्रिया व लैगून की उपलब्ध क्षमता बोर्ड को प्रेषित करें ताकि उत्पादन प्रक्रिया का पुनः संचालन सम्भव हो सके।
7. उद्योग परिसर में शीरे की लिकेज को रोकने की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाय।
8. प्रश्नगत नाले की समुचित सफाई एवं ड्रेजिंग का कार्य विलम्बतम् एक माह में पूर्ण कर लिया जाय।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनिफन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 में यह उल्लेख है कि प्रदूषित उत्स्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रत्येक उल्लंघन पर ₹० 50,000/- मात्र का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाना आदेशित है। उद्योग को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.11.2018 द्वारा दिनांक 14.11.2017, 19.07.2018, 13.09.2018 तथा 01.11.2018 को शून्य उत्स्रवाह निस्तारण व्यवस्था का उल्लंघन पाये जाने पर ₹० 02 लाख का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जा चुका है। उद्योग द्वारा शून्य उत्स्रवाह निस्तारण व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः (छत्तीस लाख पच्चास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खाता संख्या- 701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त जन-हित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग को संचालन से रोका जाय।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 32(1) (सी) के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-25/26 के अन्तर्गत जारी सहमति आदेश पत्रांक 16549/UPPCB/Faizabad (UPPCB RO) CTO/water/ Faizabad/2018 दिनांक 16.03.2018 को निलम्बित किया जाता है।
- 2 यह कि उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या के संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है।
- 3 यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि औद्योगिक संयंत्र उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति को विच्छेदित करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिस्त


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
पृष्ठ-6

पृ० सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, अयोध्या।
2. बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
3. आबकारी आयुक्त, टी०सी० 12 वी०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि० (आसवनी इकाई) मोतीनगर, फैजाबाद को शीरे का आवंटन बन्द कर दें।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, अयोध्या।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस आशय के साथ कि प्रेषित कि उद्योग को जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
पृष्ठ-6